उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या : 18/2023/273/छप्पन-2023
लखनऊ : दिनांक : 20 मार्च, 2023

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग वित्तीय वर्ष : 2022-23 (धनराशि लाख रूपये में)

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| राजस्व-लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं 800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय | | | | | |
| 305301800000342 | 5000.00 | 3627.25981 | 1243.63 | 1243.63 | 3756.37 |
| योग | 5000.00 | 3627.25981 | 1243.63 | 1243.63 | 3756.37 |

| निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| राजस्व-लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-02-रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत वायबिलिटी गैप फण्डिंग-42-अन्य व्यय | | | | | |
| 305301800000242 | 500.00 | 1743.63 | 1243.63 | 1243.63 | 1743.63 |
| योग | 500.00 | 1743.63 | 1243.63 | 1243.63 | 1743.63 |

2/...

| | |
|---|---|
| 1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत के कारण निम्नानुसार है:- चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकतानुसार भूमि आदि का कार्य प्रस्तावित न होने के कारण बचत सम्भावित है।<br>2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्न कारणों से है- रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत संचालित वायु सेवा के लिए बकाया वायबिलिटी गैप फंडिंग की प्रतिपूर्ति किये जाने के कारण व्ययाधिक्य हो रहा है।<br>प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 ,151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।<br><br>आनन्द कौशिक<br>अनु सचिव,<br>नागरिक उड्डयन विभाग। | आर.ई. संख्या- आर0ई0-बजट-1-343, दिनांक : 13 फरवरी, 2023<br><br>सेवा में,<br>महालेखाकार,<br>(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,<br>उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।<br><br>हस्ताक्षर<br><br>.....<br>संजय शुक्ला<br>उप सचिव,<br>वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन। |
| संख्या : 18/2023/273 (1)/छप्पन-2023-तद्दिनांक<br>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-<br>1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।<br>2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।<br>3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।<br>4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7<br>5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)<br>6- गार्ड बुक। | आनन्द कौशिक<br>अनु सचिव,<br>नागरिक उड्डयन विभाग। |